संख्या-92/2021/1040/22-2-2020-17(62)/2016

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 जून, 2021***

विषय केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रवीर पुत्र श्री कल्याण, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार चन्द्रवीर पुत्र श्री कल्याण, जो फहीमपुर, थाना-सिखेड़ा, जनपद- मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पूर्व में हुई हत्या का बदला लेने की भावना से दिनांक 12.01.2000 को 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा, राइफल व लाठी से मारकर 08 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-343, 344/2000 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149 व 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट) सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.05.2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा यथावत रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2004 द्वारा उक्त सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 20 वर्ष 07 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 08 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने सिद्धदोष बन्दी चन्द्रवीर पुत्र श्री कल्याण द्वारा कारित जघन्य अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रवीर (बन्दी संख्या-8243) पुत्र श्री कल्याण, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-92/2021/1040(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in